

भारतीय रिज़र्व बैंक

ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर

Reserve Bank of India

Rural Planning & Credit Department Regional Office, JAIPUR

लाइसेंस सं.ग्राआऋवि.(जय).सह.11

दिनांक : नवम्बर 18, 2011

(संदर्भ लाइसँस सं.ग्राआऋवि.(जय).सह.11

दिनांक : मार्च 19, 2010)

भारतीय रिज़र्य बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (ओ) के साथ पढ़ी जानेवाली धारा 22 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए <u>दी नागौर सेंट्रल को ओपरेटिय</u> *<u>बैंक लि0 , नागौर (राजस्थान)</u> को एतदद्वारा* निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकिंग कारोबार प्रारंभ करने और उसे चालू रखने का लाइसेंस प्रदान किया जाता है :

- (क) बैंक के परिचालन का क्षेत्र केवल जिला-*नागौर (राजस्थान)* तक ही सीमित होगा।
- (ख) बैंक अपने पंजीकृत कार्यालय में लाइसेंस अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि लाइसेंस प्राप्त होने के बाद की तारीख से प्रदर्शित करेगा।

LICENSE NO. RPCD.(JPR).Co-op.11 Dated: November 18, 2011

(Ref: Lic. No. RPCD.(JPR).Co-op.11

dated March 19, 2010)

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 22(1) read with Section 56(o) of the Banking Regulation Act, 1949 Central Co-operative Bank Ltd., Nagaur (Rajasthan) is hereby granted a licence to commence and carry on banking business, subject to the following conditions:

- (a) The area of operation of the bank shall be confined only to the District- Nagaur (Rajasthan)
- (b)This licence or a certified copy thereof shall be displayed at the registered office of the bank from the date following the receipt thereof.

EM181MS

(एच.एन.अय्यर)

महाप्रबंधक एच. एन. अय्यर

महाप्रबन्धक

(H.N.Iyer) General Manager

एच. एन. अय्यर

महाप्रबन्धक

प्रिसीयांसिम्बर्ध हेन्द्रक्तुंssued in lieu of the license साधीका वासीका छुप्तां त्रक्षातिमाण vide RPCD no.3602/03.03.73/2009-10 dated सामित क्रिएक्ट वेंग्र, जयपुर

Attested copy

हा नालार में उत्पन्न -ऑपरेटिय बैंफ लि

नागीर (राखः)